

प्रेषक,

एस0 एम0 करीम,  
निदेशक (उच्च शिक्षा)।

सेवा में,

कुलसचिव,

पटना विश्वविद्यालय, पटना।

मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।

बी0आर0ए0 बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।

जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा।

वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा।

भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा।

तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर।

ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।

कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा।

मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना।

पटना, दिनांक 29/5/2015

विषय :- वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य के परम्परागत विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेतर पदाधिकारियों/कर्मचारियों के माह मई, 2015 के वेतनादि/पेंशनादि के भुगतान हेतु रुपये 154,49,60,126/- (एक सौ चौवन करोड़ उन्चास लाख साठ हजार एक सौ छब्बीस) मात्र की विमुक्ति के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि शिक्षा विभाग के राज्यादेश संख्या-15/जी 1-01/2015-01 दिनांक-29.04.2015 के द्वारा राज्य के परम्परागत विश्वविद्यालयों एवं उनके अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों तथा घाटानुदान प्राप्त अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षकेतर पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतनादि/पेंशनादि मद में रुपये 340,43,28,102/- (तीन सौ चालीस करोड़ तैंतालीस लाख अठाइस हजार एक सौ दो रू0) मात्र एवं पेंशनादि मद में रुपये 123,05,52,276/- (एक सौ तेइस करोड़ पाँच लाख बावन हजार दो सौ छियत्तर रू0) अर्थात् कुल रुपये 463,48,80,378/- (चार सौ तिरेसठ करोड़ अड़तालीस लाख अस्सी हजार तीन सौ अठत्तर) मात्र की स्वीकृति अग्रिम के रूप में माह मार्च, 2015 से मई, 2015 तक स्थायी आदेश संख्या 1333 दिनांक 18.06.2008 के आलोक में प्रदान की गयी है।

2. तदनुसार राज्य के परंपरागत विश्वविद्यालयों एवं उनके अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों/अल्पसंख्यक घाटानुदानित महाविद्यालयों में विधिवत रूप से सृजित पद पर नियुक्त होकर कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेतर पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतनादि/पेंशनादि मद में सलंगन तालिका के अनुसार माह मार्च मई, 2015 के लिए राज्यादेश संख्या-15/जी1-01/2015-01, दिनांक-29.04.2015 की कंडिका-4 में

अंकित शर्तो एवं बंधेजों के अधीन विश्वविद्यालयवार निम्नवत् राशि विमुक्त की जा रही है:-

क्र०	विश्वविद्यालयों के नाम	वेतनादि	वेतनादि के अलावा	कुल राशि
1.	पटना विश्वविद्यालय, पटना।	7,08,73,681	3,70,38,641	10,79,12,322
2.	मगध विश्वविद्यालय, बोध गया	31,06,55,555	8,13,58,985	39,20,14,540
3.	बी०आर०ए० बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर	15,10,92,675	6,84,04,008	21,94,96,683
4.	जे०पी० विश्वविद्यालय, छपरा	6,54,36,903	2,29,91,822	8,84,28,725
5.	वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा	8,44,85,895	2,49,19,734	10,94,05,629
6.	बी०एन मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा	11,24,67,217	2,43,11,782	13,67,78,999
7.	तिलका मांडी विश्वविद्यालय, भागलपुर	13,63,59,571	8,04,94,212	21,68,53,783
8.	एल० एन० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा	16,24,97,290	6,29,15,076	22,54,12,366
9.	के०एस०डी०एस० विश्वविद्यालय, दरभंगा	4,01,87,658	77,49,832	4,79,37,490
10.	मौ०म०ह० अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना	7,19,589	0	7,19,589
	कुल	113,47,76,034	41,01,84,092	154,49,60,126

(एक सौ चौवन करोड़ उन्चास लाख साठ हजार एक सौ छब्बीस मात्र)

3. विमुक्त की गयी राशि से वेतनादि/पेंशनादि का भुगतान मात्र वैसे शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को ही किया जाये जो विश्वविद्यालय सेवा में विधिवत रूप से सृजित पद पर नियमित रूप से नियुक्त होकर कार्यरत हैं अथवा सेवा निवृत्त हो चुके हैं।

चतुर्थ चरण में नवअंगीभूत महाविद्यालय के कर्मियों के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 6098/97 में दिनांक 12.10.2004 को पारित आदेश के अनुपालन में मात्र वैसे शिक्षकों/शिक्षकेतर कर्मियों के वेतनादि की गणना की गई है, जो जस्टिस एस०सी० अग्रवाल समिति के प्रतिवेदन एवं सिविल अपील संख्या 6098/97 में पारित आदेश के अनुसार सरकार द्वारा स्वीकृत पदों या दिनांक 30.04.1986 तक अनुशंसित पद के विरुद्ध नियुक्त हों।

4. विमुक्त की गयी राशि से जिन शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को भुगतान किया जा रहा है, उनके वेतनादि/पेंशनादि एवं सेवा निवृत्ति लाभ की अनुमान्यता का निर्धारण बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 यथा अद्यतन संशोधित की धारा-35 की उपधारा (2) के प्रावधानों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान के आधार पर किया गया है तथा इसमें ऐसा कोई भत्ता सम्मिलित नहीं किया जायेगा जिसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त नहीं है।

5. विमुक्त की जा रही राशि से शिक्षक/पदाधिकारी एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों की भविष्य निधि एवं अन्य मदों में की गई कटौतियों को संबंधित कर्मियों के खाते में जमा किये जाने की कार्रवाई विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। विश्वविद्यालय से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के बाद ही अगले माह की देय राशि विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी। अगर वर्णित सत्यापित विवरणी विश्वविद्यालय से प्राप्त नहीं होती है तो उक्त स्थिति में संबंधित विश्वविद्यालय के लिए अनुदान की विमुक्ति सत्यापित विवरणी प्राप्त होने तक स्थगित की जा सकती है। किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत एवं विमुक्त राशि का विचलन नहीं किया जायेगा।

6. विमुक्त की जा रही राशि को महाविद्यालय को उपलब्ध कराये जाने के पूर्व विश्वविद्यालय स्तर पर नियोक्ता के रूप में सुनिश्चित हो लिया जाये कि महाविद्यालय को विधिमान्य अनुमान्य राशि से अधिक राशि का भुगतान किसी अन्य कारणों से अथवा अन्तर विश्वविद्यालय स्थानान्तरण के कारण नहीं किया जा रहा है।

विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा-35 में अंकित प्रावधानों के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान से अधिक वेतनमान में किसी भी कर्मी को उच्चस्तरीय पद के वेतनमान में वेतनादि का भुगतान नहीं किया जा रहा है ।

7. शिक्षा विभाग के पत्र संख्या-वे0स0को0 4657/2013- 57 दिनांक 13.02.15 में दिए गये निदेश के अनुपालन में वैसे शिक्षक जिनका वेतन सत्यापन हेतु आवेदन दिनांक 28.02.15 तक वेतन सत्यापन कोषांग को प्राप्त नहीं कराया गया है, मार्च 2015 से उनके मूल वेतन का 25 प्रतिशत राशि कटौती कर उन्हें वेतन भुगतान किया जाय।

विभाग द्वारा विश्वविद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों के लिए वेतन भुगतान हेतु पूर्ण राशि विमुक्त की जा रही है। जिन शिक्षकों के वेतन से कटौती की जा रही है, उन शिक्षकों के लिए स्वीकृत/विमुक्त राशि विश्वविद्यालय कोष में सुरक्षित रखी जाय।

8. विभागीय राज्यादेश संख्या-15/जी 1-01/2015-01, दिनांक 29.04.2015 के द्वारा स्वीकृत राशि जो विश्वविद्यालय शिक्षा कोष नामक पी0एल0खाता में जमा है, की निकासी शीर्ष "8448-स्थानीय निधियों की जमा (व्यय)-110-शिक्षा निधियों-0001-शिक्षा निधियों- विपत्र कोड-एल 84480011-00001" से होगी। राशि की निकासी हेतु विभागीय राज्यादेश संख्या-15/जी 1-01/2015-01 दिनांक 29.04.2015 द्वारा अवर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार को प्राधिकृत किया गया है जो राशि की निकासी कर संबंधित विश्वविद्यालय को इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे ।


9. अवर सचिव, शिक्षा विभाग के पत्रांक-15/पी 1-03/2011- 967 दिनांक- 20.05.2015 तथा पत्रांक 15/एम1-160/2012 (अंश-1)-966 दिनांक 20.05.2015 एव पत्रांक 1033 दिनांक 29.05.2015 के आलोक में डॉ0 अरविन्द कुमार शर्मा, संपर्क पदाधिकारी, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर के माह मई, 2015 के वेतनादि यात्रा विपत्र भुगतान हेतु कुल रूपये 1,65,698/- (एक लाख पैसठ हजार छः सौ अन्ठानवे रू0) मात्र को तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर के लिए वेतनादि मद में विमुक्त की जा रही राशि रूपये 13,63,59,571/- (तेरह करोड़ तिरेसठ लाख उनसठ हजार पाँच सौ एकहत्तर रू0) मात्र से कटौती कर शेष राशि रूपये 13,61,93,873/- ( तेरह करोड़ एकसठ लाख तिरानबे हजार आठ सौ तिहत्तर रू0) मात्र विमुक्त की जा रही है।

10. विभागीय पत्र संख्या- 21/नि0(उ0शि0),दिनांक 18.02.2006 के आलोक में उपरोक्त विमुक्त की जा रही राशि भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से ECS के द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड शाखा, पटना के माध्यम से संबंधित सभी विश्वविद्यालयों को भारतीय स्टेट बैंक में संधारित उनके खाता में स्थानान्तरित की जायेगी ।

11. विमुक्त की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र बी0टी0सी0 फार्म 42 ए0 में अंकेक्षित लेखा के साथ (चाटर्ड एकांटेन्ट से अंकेक्षण प्रतिवेदन) विश्वविद्यालय से प्राप्त होने के पश्चात् ही अगले माहों के लिए वेतनादि/पेंशनादि हेतु राशि विमुक्त की जायेगी । उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ विश्वविद्यालय द्वारा इस आशय का भी प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से दिया जाना होगा कि विधिवत रूप से सृजित पद पर नियमित रूप से नियुक्त होकर कार्यरत विश्वविद्यालय/महाविद्यालय कर्मियों को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान के आधार पर अनुमान्य वेतनादि का भुगतान किया गया है ।

12. भारतीय अंकेक्षण तथा लेखा विभाग और राज्य सरकार के वित्त (अंकेक्षण)विभाग को यह अधिकार होगा कि वे इस स्वीकृत एवं विमुक्त राशि से किये गये भुगतान का अंकेक्षण करें ।

विश्वासभाजन,


  
(एस0 एम0 करीम) 29/05/15  
निदेशक (उ0शि0)

ज्ञापांक 15/जी 1-02/2015.1035/

पटना, दिनांक.....29/5/2015

प्रतिलिपि- विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग के प्रधान आप्त सचिव/आय-व्यय पदाधिकारी, वित्त विभाग एवं प्रशाखा पदाधिकारी-09/कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, बेली रोड, पटना/अवर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/ सभी उपनिदेशक, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/वित्त पदाधिकारी, राज्य के सभी परम्परागत विश्वविद्यालय/ प्रशाखा पदाधिकारी-5, 14 एवं 15 शिक्षा विभाग तथा सभी सहायक एवं लेखापाल तथा आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा (उ0शि0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

2. आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को निदेश दिया जाता है कि इस पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दें।

  
(एस0 एम0 करीम) 29/05/15  
निदेशक (उ0शि0)  
Pranav  
29.5.15

Details of Expenditure for T.M. Bhagalpur University, Bhagalpur for the Month of May, 2015

Sl. No.	Name of the College/ Dept.	Total Teaching Posts (Sanctioned)	Total Teaching Posts (Working)	Total Working Posts Admissible for Calculation	Total Admissible Amount for Teaching for One Month	Sanctioned Post			Working Post			Working as Admissible			Amount	Total Admissible Amount of One Month for Teaching & Non-Teaching
						NT (Excluding Lab Personnel (I/II/III Grade))	Lab Personnel (I/II/III Grade)	Lab Personnel on Staffing Pattern (I/II/III Grade)	NT (Excluding Lab Personnel (I/II/III Grade))	Lab Personnel (I/II/III Grade)	Lab Personnel on Staffing Pattern (I/II/III Grade)	NT (Excluding Lab Personnel (I/II/III Grade))	Lab Personnel (I/II/III Grade)	Lab Personnel on Staffing Pattern (I/II/III Grade)		
1	University Head Quarter & allied Units					424	0	0	309	0	0	309	0	0	8587153	8587153
2	P.G. Department	216	135	135	19889132	193	8	17	164	8	14	164	8	14	4930476	24819608
3	Bhagalpur National College, Bhagalpur	35	24	24	3226060	84	6	6	66	4	4	66	4	4	1895076	5121136
4	B.N.M. College, Barhaya	25	6	6	582323	20	0	0	9	0	0	9	0	0	229939	812262
5	B.R.M. College, Munger	38	15	15	1935341	23	4	0	18	4	0	18	4	0	600770	2316111
6	D.S.M. College, Jhalpa	19	8	8	1118544	17	3	1	20	3	1	20	3	1	579978	1698522
7	G.B. College, Naugachia	34	8	8	822529	26	2	4	23	1	2	25	1	2	675841	1498370
8	H.S. College, Haveli Kharagpur	27	8	8	822529	39	0	0	16	0	0	16	0	0	376316	1198845
9	J.M.S. College, Munger	17	7	7	864002	23	0	0	13	0	0	13	0	0	308813	1172815
10	J.P. College, Narayanpur	34	11	11	1097044	49	0	2	25	0	2	25	0	2	715081	1812125
11	J.R.S. College, Jamalpur	39	10	10	1032164	59	0	1	28	0	1	28	0	1	750880	1793044
12	K.D.S. College, Gogari	20	6	6	713911	11	4	0	28	4	0	11	4	0	433165	1147076
13	K.K.M. College, Jamui	40	14	14	1737794	54	0	1	28	0	0	28	0	0	716484	2454278
14	K.M.D. College, Parbatta	18	10	10	1355241	43	7	1	33	0	0	33	0	0	850981	2206222
15	K.S.S. College, Lakhsarai	34	16	16	1951088	39	9	0	25	6	0	25	6	0	854741	2805829
16	Koshi College, Khagana	57	23	23	2902059	62	0	0	52	0	0	52	0	0	1359705	4261764
17	Merwan College, Bhagalpur	81	52	52	6548894	96	8	1	62	8	1	62	8	1	1794529	8343423
18	Muzarka College, Bhagalpur	38	18	18	1898330	29	0	1	21	0	1	21	0	1	534382	2432712
19	P.B.S. College, Banka	27	10	10	1141595	37	0	5	25	0	3	25	0	3	774226	1915821
20	R.D. College, Sheikhpura	42	19	19	2465751	56	9	2	49	4	2	49	4	2	1459700	3925451
21	R.S. College, Tarapur	27	8	8	815938	55	3	5	34	3	3	34	3	3	999601	1815539
22	R.D. & D.J. College, Munger	98	33	33	4502690	120	0	1	71	0	1	71	0	1	1829740	6332430
23	S.K.R. College, Barbigaha	42	12	12	1375210	46	8	1	25	4	1	25	4	1	837671	2212881
24	S.M. College, Bhagalpur	88	48	48	5899093	64	0	3	48	0	3	48	0	3	1290907	7190009
25	S.V. College, Kahaigaon	45	20	20	2647770	23	7	1	21	1	1	21	1	1	623337	3271007
26	T.N.B. College, Bhagalpur	134	73	73	9599265	140	6	11	104	3	11	104	3	11	2925228	12524493
	Total:-	1275	594	594	76954297	1852	84	64	1319	53	51	1302	53	51	36934620	113888917
31	Sabour College, Sabour	57	55	55	6563658	40	8	0	34	4	0	34	4	0	1010174	7573832
27	T.N.B. Law College, Bhagalpur	41	24	24	2609337	64	0	0	36	0	0	36	0	0	813843	3423180
28	Jamalpur College, Jamalpur	28	13	13	1706339	57	1	0	26	1	0	13	1	0	346238	2052577
29	M.A.M. College, Naugachia	69	51	51	6194397	51	21	0	48	17	0	45	17	0	1787748	7982145
30	Mehila College, Khagana	19	12	12	973855	24	2	0	19	2	0	15	2	0	465065	1438920
	Total:-	214	155	155	19047586	236	32	0	163	24	0	143	24	0	4423068	22470654
	G. Total:-	1489	749	749	95001883	2088	116	64	1482	77	51	1445	77	51	41357688	136359571